



अनुलग्नक 4  
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.3)

### प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी)

#### प्रारूप का: स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत शामिल किए जा रहे लाभार्थी की सूचना

1. परिवार के मुखिया का नाम

2. लिंग [पुरुषः01, महिला:02, उभयलिंगी:03]

3. पिता का नाम

4. परिवार के मुखिया की आयु

5. वर्तमान पता और संपर्क व्यौरा

i. मकान सं.

ii. गली का नाम

iii. शहर

iv. गोबाइल संख्या

6. रथाई पता

i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.

ii. गली का नाम

iii. शहर/गांव

iv. जिला, राज्य

7. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो

मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र )

8. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से सबध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण —पत्र

9. धर्म

[हिन्दू—01, मुस्लिम—02, इसाई—03, सिक्ख—04, जैन—05,  
बौद्ध—06, पारसी—07, अन्य(उल्लेख करें)]

10. जाति

[सामान्य—01, अनुसूचित जाति—02,  
अनुसूचित जनजाति—03, अन्य पिछड़ा वर्ग—04]

11. क्या विकलांग हैं (हाँ/नहीं)

12. वैवाहिक स्थिति

(विवाहित—01, अविवाहित—02, एकल महिला/विधवा—03)

13. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी  
भूमि है? (हाँ/नहीं)

क. यदि हाँ, तो स्थान का ब्यौरा दें। (बस्ती/ शहर/राज्य)

ख. यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

14. विद्यमान आवास का स्वामित्व विवरण

(अपना—01, किराए का—02, अन्यथा—03)

15. परिवार की औसत मासिक आय (रुपए में)

घर के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के  
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



## प्रारूप ख – लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना\*

1. परिवार के मुखिया का नाम			
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]			
3. पिता का नाम			
4. परिवार के मुखिया की आयु			
5. वर्तमान पता और संपर्क व्यौरा			
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.			
ii. गली का नाम			
iii. शहर			
iv. मोबाइल संख्या			
6. रस्थाई पता			
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.			
ii. गली का नाम			
iii. शहर/गांव			
iv. ज़िला, राज्य			
7. मौजूदा मकान का मालिकाना व्यौरा			
[स्वामित्व – 01, किराया – 02, अन्य – 03]			
8. छत के आधार पर मकान का प्रकार [पक्का (सीमेट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध-पक्का (सीमेट की चादर / स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (धास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]			
9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या			
10. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास ज़िले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र)			
11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु			
परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास ज़िले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र
12. धर्म			
[हिन्दू–01, मुस्लिम–02, इसाई–03, सिक्ख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य(उल्लेख करें)]			
13. जाति			
[सामान्य–01, अनुसूचित जाति–02, अनुसूचित जनजाति–03, अन्य पिछड़ा वर्ग–04]			
14. बैंक का व्यौरा			
क. बैंक खाता संख्या			
ख. बैंक और शाखा का नाम			
ग. बैंक का आईएफएससी कोड			



<p>15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या</p> <p>[0 से 1 वर्ष – 01, 1 से 3 वर्ष – 02, 3 से 5 वर्ष – 03, 5 वर्ष से अधिक – 04]</p>	<input type="text"/>
<p>16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र–वर्ग मीटर में)</p>	<input type="text"/>
<p>17. क्या विकलांग हैं (हाँ/नहीं)</p>	<input type="text"/>
<p>18. वैवाहिक स्थिति</p> <p>(विवाहित – 01, अविवाहित – 02, एकल महिला/विधवा – 03)</p>	<input type="text"/>
<p>19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हाँ/नहीं)</p> <p>ग. यदि हाँ, तो स्थान का ब्यौरा दें। (वर्ती/ शहर/ राज्य)</p> <p>घ. यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>20. रोजगार की स्थिति</p> <p>(स्व – रोजगार – 01, वेतनभोगी – 02, नियमित मजदूरी – 03, मजदूर – 04, अन्य – 05)</p>	<input type="text"/>
<p>21. परिवार की औसत मासिक आय (रुपए में)</p>	<input type="text"/>
<p>22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हाँ / नहीं)</p> <p>क. यदि हाँ, बीपीएल कार्ड संख्या दें।</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>23. परिवार की आवास आवश्यकता</p> <p>(नया घर – 01, वृद्धि – 02)</p>	<input type="text"/>
<p>24. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।</p> <p>[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]</p>	<input type="text"/>
<p>25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री</p> <p>आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है</p> <p>i. ऋण से जुड़ी सब्सिडी – 01</p> <p>ii. भागीदारी में किफायती आवास – 02</p> <p>iii. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार – 03</p>	<input type="text"/>
<p>26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)</p> <p>(क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण / विस्तार के अंतर्गत है)</p>	<input type="text"/>
<p>परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान</p>	
<p>नोट: “अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए “सभी के लिए आवास कार्ययोजना” (एचएफएपीओए) रकीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के पलो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।</p>	
<p>उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी</p> <p>के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</p>	



अनुलग्नक 5  
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.6)

### प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना हेतु प्राप्त

#### I. उद्धारी ललमों के लिए एलम-वार मध्यवर्ती कार्यनीतियां

एलम का नाम	एलम का वर्ग भीटर में शामिल होने के लिए अनुसार परियारों की कुल संख्या	* के अनुसार एलम परियार का पात्र एलम परियार	वर्ग 'एल-खाने' पुनर्विकास निव्वजी गान्धीनगरी से किया गया है	वर्ग ग्रीटर में पुनर्विकास एवं अपेक्षित वेत्र के लिए अपेक्षित वेत्र	एलममाझई/एफएआर नीचूदा प्रस्तावित अन्य एलम का नाम	इस एलम में पुनर्संथापन के लिए यदि कोई प्रस्ताव हो तो अन्य एलम का नाम

\*i.e., \*कृपया अनुकूल फैसला का उल्लेख करें।

#### II. अल्थारी ललमों के लिए एलम-वार कार्य-कलाप कार्यनीतियां

एलम का वर्ग भीटर में शेतकूल		.....*	.....*	प्रस्तावित विकास कार्यनीति
एलम का नाम		के अनुसार एलम परियारों कुल संख्या	i. किफायती आवास परियोजना (एलवटी)	i. किफायती आवास परियोजना (एलवटी)
			ii. एलम से जुड़ी यांत्रिकी रक्कीम (सीएलएसएस)	ii. एलम से जुड़ी यांत्रिकी रक्कीम (सीएलएसएस)
			iii. लाभार्थी अधायारित निमित्त	iii. लाभार्थी अधायारित निमित्त
			iv. अन्य रथारी रस्तों के चाचा जोड़ना**	iv. अन्य रथारी रस्तों के चाचा जोड़ना**

\* कृपया आकड़ों के चाचा का उल्लेख करें।

\*\* कृपया इस गमले के अनुसार अथवा उसके समुक्त रूप में (i), (ii), (iii) और (iv) का उल्लेख करें।



### III. इलामों में वर्ष-वार प्रस्तावित कार्यकलाप

वर्ष	निजी मानीदारों के माध्यम से पुनर्विकास			लाभार्थी आवासिरित नियमांचल			कैफा आवासिरित समिक्षा			वानीदारी में किफायती आवास		
	इलामों की संख्या	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	इलामों की संख्या	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	इलामों की संख्या	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	
2015-16												
2016-17												
2017-18												
2018-19												
2019-20												
2020-21												
2021-22												
कुल												

### IV. मांग सर्वेक्षण पर आधारित अन्य शहरी गरीबों के लिए वर्ष-वार प्रस्तावित कार्यकलाप

वर्ष	लाभार्थी आवासिरित नियमण			कैफा आवासिरित समिक्षा			भावीदारी में किफायती आवास			कैफा आवासिरित समिक्षा		
	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि	लाभार्थीयों की संख्या	राशि
2015-16												
2016-17												
2017-18												
2018-19												
2019-20												
2020-21												
2021-22												
कुल												



V. तिथिन्ठा घटकों के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य

फार्मलूलाप	लाभार्थियों की संख्या और अपेक्षित केंद्रीय सहाय्या (करोड़ ७० मे)										कुल
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
निजी शान्तियाँ के गांवग्राम से पुनर्वासकरा	८८८	१५१६	२०१६.१७	२०१७.१८	२०१८.१९	२०१९.२०	२०१९.२१	२०२०.२२	२०२१.२२	२०२२.२२	२०२३.२२
लाभार्थी आवासिरपत्र समिक्षकों शैक्षिका वावासान का योग्य	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८
वाकिवात लाभार्थियों को ५०% से अधिक हुई सांख्यिकी	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८
मानविकासी ने किकाचारी ग्रामीण (एप्रिल)	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८
	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८	८८८

इस्तेहास

(एप्रिल तक अधिकारी)

इस्तेहास

(शिविर/प्रशान्त योग्य, सार्विक, सावधित विभाग)



अनुलग्नक 6  
(दिग्गजितेंद्रों का पैरा 8.6 और पैरा 14.4)

### \*\*वर्ष के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना हेतु आद पत्र

स्थीकार्य घटक	*वर्ष के लिए लक्ष्य	*वर्ष के लिए उपलब्धि	**वर्ष के लिए लक्ष्य	सभी के लिए आवास कार्य योजना के अनुसार शेष लक्ष्य
<b>कृ. लागारी आधारित नियमण</b>				
• नए मकान				
• बृद्धि				
• उप-योग (क)				
छ. निजी क्षेत्र की भागीदारी से रघ-खाने रत्नम पुनर्जीवन				
• रत्नमों की संख्या				
• परिवारों की संख्या (घ)				
ग. मागीदारी में किफायती आवास (इंडिपेंडेंट ब्रोडी) (घ)				
घ. कृषि से जुड़ी संबंधी				
• इंडिपेंडेंट परिवार				
• एलआईजी परिवार				
• उप-योग (घ)				
इ. कृषि (कृषि प्रध.)				

नोट: \* इस वार्षिक कार्यान्वयन योजना के वर्ष से पहले का वर्ष  
\*\* तैयार की जा चुकी वार्षिक कार्यान्वयन योजना का वर्ष



प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) : स्कीम दिशानिर्देश

I. लाभार्थी आवासित व्यक्तिगत आवास नियमित अवधा विकास के लिए संभिज्ञा

वर्ष *	रस्तम और गैर-रस्तम क्षेत्र में लाभार्थी आवासित व्यक्तिगत आवास नियमण अध्यवा विवरार		संसाधन पुराव (राशि करोड़ में)						
	नए आवास	मौजूदा आवास का विवरार	नए आवास	मौजूदा आवास का विवरार	कुल लापता	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	लाभार्थी अंश	यूएली अंश (यदि लाभ हो)
2015-16									
2016-17									
2017-18									
2018-19									
2019-20									
2020-21									
2021-22									
कुल									

नोट: \* कृपया उस वर्ष के लिए अनुमतियां आकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्वती वर्षों हेतु उपलब्धि के वारताकिं आकड़े भरें।

II. नियमी देश की भाजीदारी के साथ सलमताहियों का स्लम पुनर्स्थापन

वर्ष *	नियमी क्षेत्र की भाजीदारी के साथ सलमताहियों का स्लम पुनर्स्थापन			संसाधन पुराव (राशि करोड़ में)			
	रस्तों की संख्या	लाभार्थीयों की संख्या	कुल लापता	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	लाभार्थी अंश	यूएली अंश (यदि लाभ हो)
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
कुल							

नोट: \* कृपया उस वर्ष के लिए अनुमतियां आकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्वती वर्षों हेतु उपलब्धि के वारताकिं आकड़े भरें।



### III. सार्वजनिक और लिंगी क्षेत्र के साथ आगीदारी में किफायती आवास

वर्ष *	परियोजनाओं की संख्या	लगाईये की संख्या	संसाधन बुटाव (शाशि करोड़ में)		
			कुल परियोजना लगाव (एकल्य)	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
2015-16					
2016-17					
2017-18					
2018-19					
2019-20					
2020-21					
2021-22					
कुल					

\* कृपया उस वर्ष के लिए अनुमानित आकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वार्ताविक आंकड़े।



प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) : रकीम दिशानिर्देश

IV. क्रृष्ण आधारित स्लिक्सडी के माध्यम से कमज़ोर वर्गों के लिए किफायती आवास

वर्ष*	निम्न के लिए प्राप्त क्रृष्ण से जुड़ी सफिसडी	क्रृष्ण से जुड़ी सफिसडी के माध्यम से किफायती आवास		संसाधन जुटाव (शाशि करोड़ रु.)	
		क्रृष्ण प्राप्त लाभाधियों की संख्या	अनुमानित अंक	इंडिकेटर	एलआईजी
2015-16	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)	इंडिकेटर	इंडिकेटर	इंडिकेटर
2016-17	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)			
2017-18	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)			
2018-19	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)			
2019-20	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)			
2020-21	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)			
2021-22	नए आवास	विस्तार (भीजूदा आवास)	कुल		

\* कृपया! उस वर्ष के लिए अनुमानित आकड़े, जिसके लिए एलआईजी प्रस्तावित है और पूर्तवर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वास्तविक आकड़े मारे

हस्ताक्षर

(राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी)

हस्ताक्षर

(एविल, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग)



अनुलग्नक 7 क  
(दिशानिर्देश के पैरा 14.5)

### निजी आगीदार के साथ 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए ग्राह्य

1	राज्य का नाम	:	
2	शहर का नाम	:	
3	स्लम का नाम	:	
4	परियोजना का नाम	:	
5	परियोजना कोड*	:	
6	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	:	
7	कार्यान्वयन एजेंसी (शहरी स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/आवास बोर्ड/शहरी सुधार ट्रस्ट/ निर्विश्व स्लम पुनर्वास एजेंसी/निजी एजेंसी/विकासकर्ता)	:	
8	राज्य स्तरीय रक्कीति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदन की तिथि	:	
9	परियोजना लागत (लाख रु० में)		
10	परियोजना की अवधि (महीनों में)		
11	i) स्लम की स्थिति (कृपया लिखें: 1.यदि अधिसूचित हो, 2.यदि मान्यता प्राप्त हो और 3.यदि विनियत हो ) ii) कुल स्लम होत्र (वर्ग मी.) iii) स्लम पुनर्वास के अंतर्गत होत्र (वर्ग मी.) iv) स्लम की जनसंख्या	:	
12	मौजूदा स्लम परिवारों की संख्या	:	सामान्य अनु० जाति अनु० जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कुल अन्यसंख्यक
13	पात्र स्लम परिवारों की संख्या	:	
14	कारपेट होत्र के साथ प्रस्तावित आवासों (केवल स्लम पुनर्वास) की संख्या	:	
15	क्या लाभार्थी का चयन पीएमएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है? (हा/नहीं)	:	
16	क्या निजी आगीदार को खुली प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से चुना गया है? अगर हां, तो बोली की तिथि?	:	
17	निजी आगीदार के लिए प्रोत्साहन i) होत्र में मौजूदा एफएसआई ii) परियोजना में मुहैया किया गया एफएसआई iii) अन्य प्रोत्साहन, यदि कोई हो	:	
18	i) भारत सरकार अनुदान अपेक्षित है (1.0 लाख रु० प्रति पात्र स्लमवासी) (लाख रु० में) ii) राज्य अनुदान, यदि कोई हो (लाख रु० में) iii) यूएलबी अनुदान, यदि कोई हो (लाख रु० में) iv) लाभार्थी जरा (लाख रु० में) v) कुल योग (लाख रु० में)	:	
19	क्या आवास के लिए तकनीकी विनियोजन/रिहायशी एकक डिजाइन भारतीय मानदंडों/एनबीसी/राज्य मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए गए हैं?	:	
20	परियोजना में दी गई निर्माण अवधि के दौरान लाभार्थीयों के लिए अस्थायी प्रबंधन का प्रकार (किराया/ट्रॉजिट आब्रय)	:	
21	क्या द्रुक अवसंरचना विद्यमान है अथवा अमृत अथवा किसी अन्य रकीम के माध्यम से प्रदान की जा रही है (हा /नहीं)	:	



22	क्या नागरिक अवस्थापना का ग्रावधान लागू राज्य मानकों/ सीपीएवईईओ मानदंड/आईएस कोड/एनबीसी के अनुसार बनाया गया है? i) जलापूर्ति (हाँ/नहीं) ii) सीवरेज (हाँ/नहीं) iii) सड़क (हाँ/नहीं) iv) वर्धा जल नाला (हाँ/नहीं) v) बाहरी विद्युतीकरण (हाँ/नहीं) vi) टोस अपशिष्ट प्रबंधन(हाँ/नहीं) vii) कोई अन्य, स्पष्ट करें viii) यदि कोई अवस्थापना प्रस्तावित नहीं की गई हो, उसके कारण बतायें	:
23	क्या आपदा (पूकप, बाढ़, चक्रवात, भूखलन आदि) रोधी विशेषताओं को परियोजना की संकल्पना, डिजाइन और कार्यान्वयन में अपनाया गया है?	:
24	क्या युगलता आश्वासन परियोजना का भाग है, यदि नहीं है तो कैसे यह सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है?	:
25	क्या प्रचालन और अनुरक्षण परियोजना का भाग है, यदि हाँ, तो कितने वर्षों के लिए है?	:
26	क्या परियोजना के लिए बाधामुक्त भूमि उपलब्ध है, या नहीं ?	:
27	क्या परियोजना में कोई अभिनव/लागत प्रभावी/हरित प्रौद्योगिकी अपनायी गई है ?	:
28	डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात एसएलएसी की टिप्पणियाँ ।	:
29	यूएलबी/राज्य किसी अन्य सूचना सहित परियोजना सार प्रस्तुत करना चाहते हैं	:

\*राज्य पीएमएवाई—एचएफए(श) के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना को (क,ख,ग,घ,ड,च,छ,ज,ञ,ञ,ट) रूप में कोड संख्या दी जाएगी जहाँ 'क, ख' जनगणना के अनुसार राज्य कोड है, 'ग,घ,ड,च,छ,ज' जनगणना के अनुसार शहर कोड है, 'ञ,ञ' शहर की परियोजनाओं की बल रही संख्या और 'ट' परियोजना घटक कोड है अर्थात् 'ट' में 1—रच—स्थाने स्लम पुनर्विकास के लिए, 2—पुनर्स्थापन के लिए, 3—एप्याफी के लिए, 4—लागार्थी आधारित निर्माण अथवा विस्तार के लिए होगा ), 'ठ' नई के लिए—एन, संशोधित के लिए—आर, क्रमानुक्रम संख्या के लिए —एम होगा जो नई के लिए ओ एवं संशोधित के लिए 1 और इसी प्रकार क्रम में होगा ।

एतद्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय ने पीएमएवाई—एचएफए(श) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाभार्थियों की जांच कर ली है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक सहित मिशन के अंतर्गत किसी लाभार्थी को एक से अधिक लाभ के लिए नहीं चुना गया है।

मिशन अनुदानों के उपयोग के साथ पुनर्विकसित किए जा रहे सभी स्लमों की समेकित सूचना संलग्न है।

हस्ताक्षर

(राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी)

हस्ताक्षर

(सचिव, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग)